वीर परिवार सहायता योजना 2025

स्रोत: हिन्दुस्तान टाइम्स

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण **(NALSA)** ने **वीर परिवार सहायता योजना 2025** शुरू की, जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिये **समर्पित एक राष्ट्रीय स्तर की विधिक सहायता योजना** है।

- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य **सेना और अर्धसैनिक** बलों के कर्मियों तथा उनके परिवारों को **निःशुल्क विधिक सहायता, सलाह और समर्थन** प्रदान करना है, ताकि उनकी **सेवा से जुड़ी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते** हुए उन्हें न्यायिक सहयोग मिल सके।
  - इससे ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने, **वीडियो परामर्श** और **ई-लोक अदालतों** तथा **ऑनलाइन मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान संभव** हो सकेगा।
- **अखिल भारतीय पहुँच:** यह योजना सभी **भारतीय राज्यों में संचालित करने के लिये डिज़ाइन** की गई है ताकि समावेशी राष्ट्रीय कवरेज सुनिश्चित हो सके।
- **संवैधानिक आधार:** यह संविधान के **अनुच्छेद 39A में निहित** है, जो **समान न्याय और कानूनी सहायता** सुनिश्चित करता है।
- **कानूनी सहायता अवसंरचना:** NALSA ज़िला, **राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी सहायता** क्लीनिक स्थापित करेगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

- **परिचय:** NALSA एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत की गई थी।
  - यह कानूनी सहायता कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करता है, ताकि **महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), औद्योगिक श्रमिकों, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जैसे पात्र समूहों** को कानूनी सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें, जैसा कि अधिनियम की धारा 12 में प्रावधानित है।
- **स्तरीकृत संरचना:** तालुक न्यायालयों से लेकर **सर्वोच्च न्यायालय** तक सभी स्तरों पर **विधिक सेवा संस्थान** स्थापित किये गए हैं।

और पढ़ें: सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/veer-parivar-sahayata-yojana-2025